चिट फण्ड अधिनियम1982

- यू0पी चिट फण्ड एक्ट 1975 को उक्त अधिनियम की धारा90 के अन्तर्गतRepeal करके एक केन्द्रीय एक्ट चिट फण्ड अधिनियम1982 बनाया गया । उ0प्र0 शासन में वर्ष 1988 में उ0प्र0 चिट फण्ड नियमावली1988 बनायी । इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यवसाय करने वाले व्यक्तिगत भागीदारी फर्मो या कम्पनियों को अपने नाम मे चिट फण्ड कुरी या चिट का प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है । एक समय में व्यक्ति द्वारा100000/- तथा भागीदारी फर्मो द्वारा रूपये 600000/- ;अधिकतम चार पार्टनर होने पर) तथा कम्पनियों द्वारा अपने नेट ऑन फण्ड के दस गुना तक के चिट ग्रुपों के संचालन का अधिकार है ।

- चिट ग्रुप संचालन के लिये चिट ग्रुप की धनराशि के बराबर की धनराशि की बैक जमा रसीद सहित निर्धारित शुल्कजमा करके पूर्व अनुमति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब परीक्षणोपरान्त रजिस्ट्रार द्वारा पूर्व अनुमति प्रार्थना पत्र एवं प्रतिभूति पर्याप्तता प्रमाणपत्र निर्गत किया जाता है । उसके पश्चात् चिटग्रुप संचालक द्वारा दो प्रतियों मे चिट एग्रीमेन्ट प्रस्तुत करने पर परीक्षणोपरान्त चिट एग्रीमेन्ट का पंजीकरण करके रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

- चिट संचालन हेतु निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना तथा निर्धारित शुल्क प्रस्तुत करने पर रजिस्ट्रार द्वारा परीक्षणोपरान्त चिट प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।

- चिट प्रारम्भ करने के पश्चात् फोरमैन को प्रतिमाह मिनट की प्रतियां प्रेषित करना होता है । चिट ग्रुप समाप्त होने पर फोरमैन द्वारा प्रतिभूति अवमुक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर रजिस्ट्रार द्वारा यह जाच करने के पश्चात् कि प्रत्येक सदस्य को चिट धनराशि का भुगतान हो गया है तथा सर्म्पूर्ण भुगतान सुनिश्चित होने के पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा बंधक प्रतिभूति धनराशि अवमुक्त कर दी जाती है ।

- यदि चिटग्रुप सदस्योद्वारा चिट धनराशि का भुगतान नही किया जाता है तो इस अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत फोरमैन द्वारा अर्बिटेशन केस सांस्थित किया जाता है जिसकी सुनवाई के पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा एवार्ड किया जाता है तथा यदि फिर भी चिट धनराशि का भुगतान सदस्यो द्वारा नही किया जाता है तो रजिस्ट्रार द्वारा रिकवरी सार्टिफिकेट जारी किया जाता है ।

चिट फण्ड अधिनियम 1982 के अंतर्गत

- 1–चिट ग्रुपों का पंजीकरण।
- 2–चिट ग्रुपों की अवधि समाप्त होने के उपरान्त प्रतिभूति भारमुक्त करना।
- 3–चिट ग्रुपों के किसी सदस्य में किये गये परिवर्तनों का पंजीयन।
- 4–चिट ग्रुपों के विवादों का निस्तारण।